बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः— 3/अ0प्र0—1—470/2013 713 /पटना, दिनांक :— 8-6-21

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत एन0एच0—83 के ग्राम बिर्रा से अकौना तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित पथ की निगरानी विभाग द्वारा दिनांक 30.05.2014 को की गई जॉच में 11 अदद पुलियों के हेडवाल में विभिन्न प्रकार के Cracks पाये गये। साथ ही तीन पुलियों के हेडवाल से संग्रहित सीमेन्ट—मोर्टार के नमूनों के प्रयोगशाला जॉचफल में सीमेन्ट एवं बालू का औसत आयतनिक अनपात क्रमशः 1:7.53, 1:9.86 एवं 1:10.51 पाया गया जबकि प्रावधानित अनुपात 1:3 है। पथ में पाई गई उक्त अनियमितता के लिए श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र (आरोप वर्ष 2012—2013) गठित कर संकल्प संख्या 704 दिनांक 10.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदधिकारी के पत्रांक 19 दिनांक 30.01.2019 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोपों को इस आधार पर अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया कि जॉच के समय कार्य on going था एवं बाद में त्रुटियों का निराकरण करा लिया गया।

संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवदेन एवं उपलब्ध अभिलेख की समीक्षा में यह पाया गया कि माप—पुस्त में कार्य पूर्ण होने की तिथि दिनांक 08.06.2013 अंकित है। अतएव तत्समय कार्य वस्तुतः on going नहीं था, अपितु पूर्ण हो चुका था। पथ के कुछ अंश का कार्य अपूर्ण था न कि पुलियों का। पुलियों के कार्य का भुगतान किया जा चुका था। जॉच के बाद कालान्तर में कार्य की त्रुटियों को सुधार देने से आरोप प्रमाणित नहीं होने का आधार तर्कसंगत नहीं है। अतः संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के उक्त बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 2888 दिनांक 10.10.2019 द्वारा श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

3. श्री पासवान द्वारा पत्रांक 01 दिनांक 11.11.2019 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें यह तर्क दिया गया कि एकरारनामा के शर्त्तो के अनुरूप किसी भी कार्य के समाप्ति तिथि उक्त तिथि को माना जाता है, जिस तिथि को संवेदक के अंतिम विपत्र का निष्पादन करते हुए एकरारनामा को बंद किया जाता है। एकरारनामा के शर्त्तो के अनुरूप त्रुटिपूर्ण कार्य को विशिष्टि के अनुरूप कराने का दायित्व संवेदक की है।

4. श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की विभागीय समीक्षा की गई। मामले की समग्र समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कार्य गुणवत्तापूर्ण होने पर ही संवेदक को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतएव यह मान्य नहीं है कि गुणवत्ताविहीन कार्य का चालु विपत्र के तहत भुगतान कर दिया जाय और यह तर्क दिया जाय कि अभी अंतिम विपत्र का भुगतान नहीं किया गया है।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) के तहत "दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से कटौती की शास्ति" अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति पदावनत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला दरभंगा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि कटौती की शास्ति ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
13.05.21
(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–470/2013 714 /पटना, दिनांक:– 8.6.21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13.05.21
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–470/2013 714 /पटना, दिनांक:– 8.6.21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.05.21
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–470/2013 714 /पटना, दिनांक:– 8.6.21

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति पदावनत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.05.21
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–470/2013 714 /पटना, दिनांक:– 8.6.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.05.21
उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@ni